अंतरिक्ष मलबे पर भारत की निंदा को महत्त्व नहीं दिया अमेरिका ने

वाशिंगटन, 3 अप्रैल (भाषा)।

भारत के ए-सैट मिसाइल परीक्षण के कारण अंतरिक्ष में जमा मलबे को लेकर नासा द्वारा की गई आलोचनाओं को ज्यादा महत्त्व नहीं देते हुए अमेरिका ने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने साझा हितों पर काम करना जारी रखेंगे। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पलाडिनो की यह टिप्पणी नासा की ओर से बयान जारी होने के एक दिन बाद आई है।

उन्होंने कहा, ‘अंतरिक्ष में मलबे का मामला अमेरिका के लिए गंभीर है और मैं कहना चाहूंगा कि हमने भारत सरकार के बयान पर संदर्भ लिया है कि परीक्षण मलबे की समस्या से निपटने के लिए किया गया था।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह हमने इस संबंध में कुछ बातचीत की थी। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा है, भारत के साथ हमारी मजबूत रणनीतिक साझेदारी है और हम वैज्ञानिक और तकनीक से जुड़े अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग जारी रखेंगे। इसमें अंतरिक्ष से जुड़ी संरक्षा और सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल है।’

भारत ने 27 मार्च को अपनी अंतरिक्ष क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने एक कृत्रिम उपग्रह को उपग्रह रोधी मिसाइल से मार गिराया था। इसके साथ ही भारत ऐसी क्षमता रखने वाले देशों अमेरिका, रूस और चीन के क्लब में शामिल हो गया है। परीक्षण के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि निचली कक्षा में परीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि अंतरिक्ष में मलबा जमा न हो। जो भी मलबा होगा, वह नष्ट हो जाएगा और कुछ हफ्ते में धरती पर गिर जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय कानून या संधि का उल्लंघन नहीं किया है।

पाक की अपील : भारत से वार्ता शुरू कराए अमेरिका

इस्लामाबाद, 3 अप्रैल (भाषा)।

पुलवामा आतंकवादी हमले और बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद से भारत के साथ बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान ने मंगलवार को अमेरिका से अपील की है कि वह सभी लंबित मामलों को सुलझाने के लिए इंडो-पाक वार्ता फिर से शुरू कराने में अपनी भूमिका निभाए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पिओ ने मंगलवार को फोन पर बात की और क्षेत्र में मौजूदा हालात पर चर्चा की।

जरदारी के सहायक से 60 करोड़ बरामद

इस्लामाबाद, 3 अप्रैल (भाषा)।

पाकिस्तान के शीर्ष भ्रष्टाचार-रोधी निकाय ने बुधवार को फर्जी खाते मामले में मुख्य संदिग्ध यूनस कुदवावी के पास से 60 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। कुदवावी को देश के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का व्यापार साझेदार माना जाता है।

सूत्रों के हवाले से जियो न्यूज ने कहा कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की रावलपिंडी इकाई ने कुदवावी के पास से 60 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। एनएबी ने जवाबदेही ब्यूरो की अदालत के समक्ष अपना अंतरिम चालान पेश किया है- जिसे उसका कार्यकारी बोर्ड पहले मंजूरी दे चुका है। कुदवावी पर एक मंदिर और पुस्तकालय के लिए पंजीकृत संपत्तियों का अवैध आवंटन पत्र जारी करने का आरोप है। रपट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि कराची स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी ‘पार्क लेन एस्टेट कंपनी’ में कुदवावी पूर्व राष्ट्रपति जरदारी के व्यापारिक साझेदार हैं। जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी कंपनी के सहमालिक हैं। संघीय जांच एजंसी (एफआइए) 32 लोगों की जांच कर रही है, जिनमें फर्जी बैंक खातों के जरिए धनशोधन के मामले में जरदारी, उनकी बहन फरयाल तालपुर, ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद शामिल हैं।

मेक्सिको सीमा बंद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं: ट्रंप

वाशिंगटन, 3 अप्रैल (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिए कांग्रेस और मध्य अमेरिकी सरकारों को कठोर कदम उठाने की चेतावनी देते हुए मंगलवार को कहा कि वह अमेरिका-मेक्सिको सीमा को बंद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

ट्रंप ने कहा, ‘सीमा पर राष्ट्रीय आपात स्थिति है।’ उन्होंने कहा कि अगर मेक्सिको ने अपने क्षेत्र से प्रवासियों को भेजना बंद नहीं किया और अगर कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया तो सीमा पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी।

भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई में नजीब ने कहा, मैं बेकसूर हूं

कुआलालंपुर, 3 अप्रैल (एएफपी)।

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने दुनियाभर को सकते में डालने वाले कई अरब डॉलर के वित्तीय घोटाले के संबंध में बुधवार को अदालत में सुनवाई के दौरान स्वयं को बेकसूर बताया। नजीब (65) कुआलालंपुर में जब अदालत पहुंचे तो उनके समर्थकों ने ‘नजीब जिंदाबाद’ के नारे लगाए।

उन्होंने कठघरे में पहुंचने के बाद अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और धनशोधन के सात आरोपों में स्वयं को बेकसूर बताया। पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के खिलाफ कई अरब डॉलर के वित्तीय घोटाले के मामले की बुधवार से सुनवाई शुरू हुई। इसी घोटाले के कारण नजीब का सत्तारूढ़ गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया था। 62 वर्षीय नजीब मलेशिया पर अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद के लिए स्थापित धन निधि 1एमडीबी में कथित रूप से हेराफेरी करने का आरोप है। इस मामले में नजीब 1एमडीबी की एक पूर्व इकाई एसआरसी इंटरनेशनल से करीब एक करोड़ तीन लाख डॉलर की कथित चोरी को लेकर भ्रष्टाचार और धनशोधन के सात आरोपों का सामना करेंगे। यह 1 एमडीबी से कथित रूप से चुराए धन का केवल एक अंश है।

ब्रुनेई : समलैंगिक यौन संबंधों पर पत्थर मारने का शरिया कानून लागू

बंदर सेरी बगवान, 3 अप्रैल (एएफपी)।

ब्रुनेई के सुल्तान ने बुधवार को देश में मजबूत इस्लामिक शिक्षा का आह्वान किया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में नए शरिया कानून लागू होने वाले हैं। इनमें समलैंगिक यौन संबंधों और व्यभिचार के दोषियों को संगसार करना (पत्थर मार मार का मौत के घाट उतारना) शामिल है।

सुल्तान हसनाल बोल्खिआ ने राजधानी बंदर सेरी बगवान के निकट सार्वजनिक संबोधन में कहा, ‘मैं इस देश में इस्लामिक शिक्षा को मजबूत होते देखना चाहता हूं।’ हालांकि इस दौरान उन्होंने विवादास्पद नई दंड संहिता का न तो कोई जिक्र किया और न ही कोई घोषणा की, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि नई संहिता बुधवार से पूरी तरह से लागू हो जाएगी। देश की बागडोर संभाल रहे 51 वर्षीय सुल्तान ने यह भी कहा कि नए दंडों पर बढ़ती वैश्विक आलोचनाओं के बीच ब्रुनेई ‘निष्पक्ष और प्रसन्न’ है। यूरोपीय संघ ने ब्रुनेई के नए कानूनों की बुधवार को निंदा की और कहा कि शरिया कानून के तहत स्वीकृत ‘क्रूर’ दंड प्रताड़ित करने के समान है और यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते का उल्लंघन है। इस मुल्क में पारित विधेयक में समलैंगिको के बीच यौन संबंधों और व्यभिचार पर संगसार करने, चोरी करने पर हाथ-पैर काटने जैसी सजा का प्रावधान है। पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने पर गैर मुसलिमों और मुसलिमों दोनों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। ईयू के प्रवक्ता ने कहा, ‘इसमें में कुछ दंडों को क्रिमिनल कोड में प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय के तौर पर देखा जाता है।’

एटलस साईकल्स (हरियाणा) लिमिटेड

[Corporate Identity Number (CIN): L35923HR1950PLC001614]
पंजी. कार्या.: औद्योगिक क्षेत्र, एटलस रोड, सोनीपत-131001
Tel.: 0130-2200001-06, Fax: 0130-2200018, Website: www.atlasbicycles.com
E-mail: Companysecretary@atlascyclesonepat.com

31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही/नौ महीने के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(आय प्रति शेयर को छोड़कर रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने	
		31.12.2018 (अनंकेक्षित)	30.09.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2017 (अनंकेक्षित)	31.12.2018 (अनंकेक्षित)	31.12.2017 (अनंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	13611.11	16029.42	14618.38	43931.85	49395.64
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-1514.16	-251.06	35.36	-1945.14	514.89
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-1514.16	-251.06	35.36	-1945.14	514.89
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-1018.16	-146.06	24.39	-1344.14	355.27
5	कुल व्यापक आय (कर के बाद)	-1018.16	-146.06	24.39	-1344.14	355.27
6	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 5/- प्रति)	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19
7	आय प्रति शेयर (वार्षिकीकृत नहीं) मूल तरल	 -15.66 -15.66	 -2.25 -2.25	 0.38 0.38	 -20.68 -20.68	 5.47 5.47

टिप्पणी:

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईटः (www.bseindia.com) तथा (www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.atlasbicycles.com) पर उपलब्ध हैं।

ख) इन परिणामों को समय-समय पर यथा-संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (‘‘इंड एएस’’ के रूप में वर्णित) 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार तैयार किया गया है।

ग) कम्पनी एक ही खंड अर्थात् साईकल्स में प्रचालन करती है।

घ) एटलस साईकल्स (हरियाणा) लिमिटेड (‘‘कम्पनी’’) के उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 2.4.2019 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।

बोर्ड के आदेश से
एटलस साईकल्स (हरियाणा) लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
ईश्वर दास चुघ
पूर्ण कालिक निदेशक
DIN: 00073257

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 2 अप्रैल, 2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय, दिल्ली, 15, एनबीसीसी टावर, 3रा तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066,
फोनः 011-26164817/ 26197719, टेलीफैक्सः 26171554,
ईमेल आईडीः nayana.sahasrabudhe@mahabank.co.in;recovery_del@mahabank.co.in

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सरफेसी अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा यहां नीचे वर्णित ऋण धारकों/मार्टगेजरों की प्रतिभूत परिसंपत्तियों के कब्जे के अनुपालन में आम जनता तथा संबंधित ऋणधारकों/मार्टगेजरों गारन्टरों, जैसा भी मामला हो, सहित सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि एतद्द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऑन लाइन बोलियाँ आमंत्रित हैं।

1.	1. मै. एक्युरेट एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी प्लॉट नं. 49, नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र.-201306, साथ हीः सी-187, सूर्यनगर, गाजियाबाद, उ.प्र., साथ हीः 8, लोकल शापिंग सेन्टर, वर्धमान सिद्धांत प्लाजा, सरिता विहार, दिल्ली-110092 2. श्री छिदालाल शर्मा, पुत्र श्री जी.एल. शर्मा, सी-187, सूर्यनगर, गाजियाबाद, उ.प्र., साथ हीः मै. एक्युरेट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, प्लॉट नं. 49, नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र.-201306 3. श्री दीपक शर्मा, पुत्र श्री छिदालाल शर्मा, सी-187, सूर्यनगर, गाजियाबाद, उ.प्र., प्लॉट नं. 49, नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र.-201306	1.	यह सम्पत्ति जीएनआईडीए द्वारा आवंटित एक संस्थानिक भवन है जो लीज होल्ड भूमि माप 60954.518 वर्ग मी. पर स्थित है जिसमें प्रबंधन ब्लॉक, संस्थानिक ब्लॉक, गर्ल्स एंड बॉयज होस्टल्स जिसका निर्मित एरिया 58759.54 वर्ग मी. है, शामिल है। सम्पत्ति प्लॉट नं. 49, नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.-201308 जो एक्युरेट एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी के नाम है।	रु. 976.30 लाख	रु. 9763.00 लाख
				(यह सम्पत्ति हमारे सांकेतिक कब्जे में है)	
				ई-नीलामी की तिथि 7.5.2019	
				उस तिथि को ई-नीलामी का समय	11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.(आईएसटी) प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ

बकाया राशि (रु. में): रु. 47,71,12,237.00 (रुपये सैंतालिस करोड़ इकहत्तर लाख बारह हजार दो सौ सैंतिस मात्र) तथा 11.5.2016 के बाद वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर 11.5.2016 से आगे का ब्याज।
यह बिक्री पूरी तरह से निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन तथा ‘‘जैसा है जहाँ है आधार’’ तथा ‘‘जो भी वहाँ है आधार’’ पर आयोजित होगी।

1) नीलामी/ बिक्री/ बोली वेबसाईट https://bom.auctiontiger.net के माध्यम से ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया में होगी।
2. क) इच्छुक बोलीदाता को पोर्टल https://bom.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (ईटीएल) से निःशुल्क यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जिसके बाद उन्हें ऑन लाईन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
ख) लॉट नं. 1 में संपत्तियों के लिए बोलीदाता द्वारा ईएमडी राशि के साथ केवाईसी दस्तावेज सहित ऑफ लाइन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 6.5.2019 के 3.00 बजे अप. तक है।
ग) इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र, ईएमडी जमा करने के प्रमाण जैसे यूटीआर नंबर, i) पहचान के प्रमाण (केवाईसी) जैसे वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाईसेंस/ पास्पोर्ट आदि, ii) वर्तमान पता- पत्राचार का प्रमाण, iii) बोलीदाता का पैन कार्ड, iv) वैध ई-मेल आईडी, v) बोलीदाता का संपर्क संख्या (मोबाईल/ लैंडलाईन) आदि की स्वतः सत्यापित प्रतियों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी, 3रा तल, 15 एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, पिन कोड- 110066 के पास ऊपर क्लॉज (ख) में वर्णित केवाईसी दस्तावेज के साथ ऑफ लाईन बोली जमा करने की अंतिम तिथि के 3.00 बजे अप. तक जमा करना होगा जिसे प्राधिकृत अधिकारी के ईमेल आईडीः recovery-del@mahabank.co.in पर जमा की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी का विवरण ऊपर वर्णितः क) पोर्टल https://bom.auctiontiger.net पर ऑन लाइन नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 3रा तल, 15 एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, पिन कोड- 110066 द्वारा योग्य बोलीदाता के नामों की पहचान की जाएगी। मै ई. प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लि. द्वारा योग्य बोलीदाता के पैन की उपयुक्त जांच के बाद उन्हें यूजर आईडी तथा पास्वर्ड उपलब्ध कराई जाएगी।
(3) लॉट नं. 01 की संपत्तियों के लिए ई-नीलामी की तिथि एवं समय 7.5.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. (आईएसटी) के बीच प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ (4) नीलामी उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाता रु. 10,000/- के गुणकों (बोली गुणकों) में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
(5) इच्छुक बोलीदाता को पोर्टल https://bom.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (ईटीएल) से निःशुल्क यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जिसके बाद उन्हें ऑन लाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
(6) संभावित बोलीदाता M/S ABCPROCURE (ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि.) अमदाबाद (संपर्क सं. 079-40230801/ 806/ 813/ 816/ 818/ 814, संपर्क व्यक्ति श्री कुशल कोठारी, मोबाईल नं. 07900005416, ई-मेल आईडी- kushal@auctiontiger.net, श्री रिकिन ब्रह्म क्षत्रिय, मोबाईल नं. 9978591888, ई-मेल आईडीः rikin@auctiontiger.net, श्री नितीश झा, मो. नं. 8800896847, ई-मेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, सपोर्ट लैंडलाइन नं. 079-40230833/ 832/ 831/ 816/ 817/ 818/ 819/ 820 से ई नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
(7) धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान ‘‘प्राधिकृत अधिकारी सरफैसी एक्ट ईएमडी’’ के नाम में खाता नं. 60121785733 में एनईएफटी/ आरटीजीएस अंतरण द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ एक्सटेंशन शाखा, आईएफएससी कोडः MAHB0000392 में अथवा ऑन लाइन निविदा जमा करने से पूर्व किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के ‘‘बैंक ऑफ महाराष्ट्र- संपत्ति लॉट नं. - एवं ऋणधारक का नाम - ’’ के पक्ष में देय तथा दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। ईएमडी का भुगतान केवल बोलीदाता की खाता से ही किया जाएगा तथा उसे बैंक द्वारा केवल प्रेषक खाता में ही रिफंड की जाएगी।
(8) सफल/ उच्चतम बोलीदाता के मामले में ईएमडी समायोजित की जाएगी अन्यथा, बिक्री के निपटारे के 15 कार्य दिवसों के भीतर वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
(9) इच्छुक पार्टी संबंधित शाखा से प्रकाशन की तिथि से संपत्ति के लिए केवाईसी जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी कार्य दिवस को उपयुक्त अनुमति प्राप्त कर साइट पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
(10) उच्चतम/ सफल बोलीदाता को पूर्व प्रदत्त ईएमडी को समायोजित कर बिक्री के संदर्भ में एओ द्वारा बोली की स्वीकृति के तत्काल बाद किंतु अधिकतम अगले कार्य दिवस के 2.00 बजे अप. तक 25% बोली/ क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। उच्चतम बोलीदाता को यहां वर्णित संपत्तियों का सफल बोलीदाता/ क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते वे बोली करने के लिए कानूनी रूप से योग्य हों। उच्चतम/ सफल बोलीदाता को उच्चतम बोलीदाता की घोषणा के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार समय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय उक्त नीलामी में किसी भी नियमों एवं शर्तों को परिवर्तित, बढ़ा अथवा संशोधित कर सकते हैं तथा भाग लेने वाले बोलीदाताओं के साथ-साथ उच्चतम बोलीदाता को उन शर्तों अथवा संशोधनों, यदि कोई हो, को स्वीकार करना होगा।
(11) इस सूचना में किसी भी तथ्य को उक्त संपत्तियों की बिक्री करने के लिए बैंक की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता अथवा प्रतिनिधित्व का गठक नहीं माना जाएगा। बैंक/ प्राधिकृत अधिकारी को वह जो भी उपयुक्त समझें उन कारणों से अथवा यहां तक कि उसका कोई भी कारण बताए बिना बिक्री को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस निरस्तीकरण पर बोलीदाता को प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं होगा।
(12) यदि इस प्रकार की बिक्री पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा कोई टैक्स देयता, दंड अथवा किसी भी प्रकार के प्रभारों की वसूली की जाती है तो बिक्री मूल्य के अतिरिक्त क्रेता को ही उसका वहन करना होगा। इसी तरह यदि संपत्ति पर किसी प्राधिकरण का कोई बकाया अथवा दंड अथवा कोई प्रभार देय हो, तो उसका वहन भी बिक्री मूल्य के साथ क्रेता को ही करना होगा। सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुसार बोलीदाता को उपरोक्त आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से सरकार के पास संपत्ति की बिक्री पर (जहां भी लागू हो) 1% टीडीएस का भुगतान करना होगा। पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी क्रेता को ही करना होगा।
(13) यह प्रकाशन संबंधित ऋणधारकों/ गारंटरों/ मार्टगैजरों के लिए जैसा भी लागू हो, पन्द्रह दिनों तथा तीस दिनों की सूचना भी है।
(14) विस्तृत नियमों एवं शर्तों के साथ ही साथ ई-बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, ऑन लाइन नीलामी बोली के सामान्य नियम एवं शर्तों से शामिल ई-नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाईट्सः क. https://bom.auctiontiger.net, ख. http://www.bankofmaharastra.in/ ग. http://tenders.gov.in पर उपलब्ध है।

विशेष निर्देश/ चेतावनीः

बोलीदाता स्वयं के हित में अंतिम मिनट/ सैकंड्स की बोली से बचें। ऐसे मामलों में वैंडर्स की ओर से किसी चूक/ विफलता (इंटरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर आदि) के लिए न तो बैंक ऑफ महाराष्ट्रा अथवा न ही सेवा प्रदाता उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से निबटने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि बैंक- अप पावर सप्लाई तथा जो भी वांछित हो, जैसी सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों को जुटा लें ताकि वे नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

तिथिः 3.4.2019
प्राधिकृत अधिकारी

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

एसीएमई देवघर सोलर पावर प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U40300HR2016PTC063873) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं.-152, सेक्टर-44, गुड़गाँव-122002, हरियाणा में है, के मामले में

.... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’’ से ‘‘हरियाणा राज्य’’ में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 26 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 152, सेक्टर-44, गुड़गाँव-122002, हरियाणा

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
एसीएमई देवघर सोलर पावर प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अनिल चुतानी
निदेशक
DIN: 07512981

तिथिः 02.04.2019
स्थानः गुड़गाँव

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

न्यूरो इन्फार्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत शॉप नं. 62, लक्ष्मी बाई नगर मार्केट, नई दिल्ली, डीएल-110035 में है, के मामले में - आवेदक

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ‘‘दिल्ली राज्य’’ से ‘‘हरियाणा राज्य’’ में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 29 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बोर्ड की ओर से
न्यूरो इन्फार्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
बृज पाल सोनी
निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 03.04.2019

फार्म नं० आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण को लेकर समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन
समक्ष केंद्र सरकार
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) की धारा (अ) के मामले में

- तथा -

श्रीजी चेन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 2941/3, चूनामंडी पहाड़गंज, नई दिल्ली, दिल्ली-110055 में स्थित है, के मामले में

..... आवेदक

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **30 मार्च,** 2019 को आयोजित विशेष आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पुष्टीकरण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को एक आवेदन दाखिल करेगी ताकि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण ‘‘**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य**’’ में करने का अधिकार प्राप्त हो जाए।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो, तो वह हलफनामे में विरोध के आधार व प्रभावित होने वाले अपने/ अपनी हित की प्रकृति का जिक्र कर अपने/ अपनी आपत्ति इस सूचना की प्रकाशन तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर प्रेषित करें अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को दाखिल करें अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहुंच जाए तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को भी उसके उपर्युक्त उल्लिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं।

वास्ते तथा आवेदक की ओर से
श्रीजी चेन्स प्राइवेट लिमिटेड

स्थान : दिल्ली
हस्ता/- **निधि जैन**
दिनांक : 04.04.2019
निदेशक

फार्म नं० आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण को लेकर समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन
समक्ष केंद्र सरकार
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) की धारा (अ) के मामले में

- तथा -

भूमिया ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 2941/3, चूनामंडी पहाड़गंज, नई दिल्ली, दिल्ली-110055 में स्थित है, के मामले में

..... आवेदक

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **30 मार्च,** 2019 को आयोजित विशेष आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन के पुष्टीकरण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी केंद्र सरकार को एक आवेदन दाखिल करेगी ताकि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण ‘‘**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य**’’ में करने का अधिकार प्राप्त हो जाए।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित हो, तो वह हलफनामे में विरोध के आधार व प्रभावित होने वाले अपने/ अपनी हित की प्रकृति का जिक्र कर अपने/ अपनी आपत्ति इस सूचना की प्रकाशन तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर प्रेषित करें अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को दाखिल करें अथवा पंजीकृत डाक से उनके पास पहुंच जाए तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को भी उसके उपर्युक्त उल्लिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भिजवाएं।

वास्ते तथा आवेदक की ओर से
भूमिया ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

स्थान : दिल्ली
हस्ता/- **सारिका जैन**
दिनांक : 04.04.2019
निदेशक

---

punjab national bank

वसूली विभाग, मंडल कार्यालयः साउथ दिल्ली
राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110125

नियम 8(1) कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, पंजाब नैशनल बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 8 व 9 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में **ऋणी श्री संजय फ्रेडरिक पुत्र श्री अर्थुर फ्रेडरिक एवं श्रीमती भावना फ्रेडरिक, पत्नी श्री संजय फ्रेडरिक फ्लैट नं. 01, भुतल संपत्ति सं. आरजेड-एफ1/336-337, गांव पालम, महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली-110045 एवं जमानतदार श्री शिव कुमार पुत्र श्री जोगिन्दर नाथ केयर ऑफ एस.के. शर्मा एवं एसोसिएट्स, एन-6 विजय विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059** को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित 14.01.2019 रूपयें 14,00,069.11/- **(रूपयें चौदह लाख उनहत्तर व ग्यारह पैसे मात्र)** दिनांक 31.12.2018 को और भविष्य का लागु ब्याज का भुगतान एवं अनुबन्ध की दर से साथ आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि के पूर्ण भुगतान, 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणी के राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 व 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य दिनांक 1 माह अप्रैल वर्ष 2019 को ग्रहण कर लिया हैं।

ऋणी एवं जमानती को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार रू. **14,00,069.11 (रूपयें चौदह लाख उनहत्तर व ग्यारह पैसे मात्र)** दिनांक 31.12.2018 को और भविष्य का लागु ब्याज का भुगतान एवं अनुबन्ध की दर से साथ आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि के पूर्ण भुगतान तक के लिये **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय-जुंगपुरा (भोगल) नई दिल्ली-110014** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थावर सम्पतियों का विवरण

फ्लैट नं. 01, भूतल, संपत्ति सं. आर जेड-एफ 1/336-337, गांव पालम, महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली-110045

दिनांकः 01.04.2019,
स्थानः महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

एडुकॉम्प रैफल्स हायर एजुकेशन लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एडुकॉम्प रैफल्स हायर एजुकेशन लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	6 जून, 2008
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U80302DL2008PLC179177
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजी.कार्यालय का पताः प्लॉट नं. 9 बी, राजेन्द्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	2 अप्रैल, 2019, आदेश (माननीय एनसीएलटी आदेश तिथि 27 मार्च, 2019) की प्राप्ति की तिथिः 2 अप्रैल, 2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	28 सितंबर, 2019
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	नामः श्री राकेश कुमार गुप्ता पंजी सं. IBBI/IPA-002/IP-N00453/2017-18/11328
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	पताः राकेश कुमार गुप्ता मकान सं. 246/1, सेक्टर-1, शास्त्री नगर, मेरठ, उ.प्र.-250003 ईमेल आईडीः rakesh.pnb@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः 1 ई, 505, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092 ईमेल आईडीः erhe.cirp@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	15 अप्रैल, 2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) http://ibbi.gov.in/downloadform.html पर उपलब्ध है। (ख) लागू नहीं।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-II) ने आदेश सीपी नं. (IB)-1232(ND)/2018 तिथि 27 मार्च, 2019, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि 2 अप्रैल, 2019 है, के माध्यम से एडुकॉम्प रैफल्स हायर एजुकेशन लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा एडुकॉम्प रैफल्स हायर एजुकेशन लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 15 अप्रैल, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 3.4.2019
स्थानः नई दिल्ली

हस्ता./-
राकेश कुमार गुप्ता
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
एडुकॉम्प रैफल्स हायर एजुकेशन लिमिटेड के मामले में

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank

एसएमई शाखा
आईएफ/20, एनआईटी बस स्टैण्ड के सामने, फरीदाबाद, हरियाणा

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिये) अधिनियम- नियम 8 (1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडीकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 29.01.2019 जारी कर ऋणधारक मै. कालरा इंडस्ट्रीज, द्वारा उसके प्रॉपराईटर श्री विजेन्दर कालरा, पुत्र श्री नारायण दास एवं गारन्टर श्रीमती पूजा कालरा, पत्नी श्री विजेन्दर कालरा को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 90,25,638.63 (रुपये नब्बे लाख पच्चीस हजार छः सौ अड़तीस एवं पैसे तिरेसठ मात्र) तथा उस पर आगे की लागत, ब्याज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 अप्रैल, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 28.1.2019 को रु. 90,25,638.63 (रुपये नब्बे लाख पच्चीस हजार छः सौ अड़तीस एवं पैसे तिरेसठ मात्र) तथा 29.1.2019 से उस पर आगे की लागत, ब्याज आदि के लिये सिंडीकेट बैंक, एसएमई शाखा, आईएफ/20, एनआईटी बस स्टैंड के सामने, फरीदाबाद, हरियाणा के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. मौजा सारण (जवाहर कॉलोनी) तहसील एवं जिला फरीदाबाद में स्थित गली नं. 3, माइल स्टोन पब्लिक स्ट्रीट, पुराना सारण तलाब कॉलोनी में खसरा नं. 98 में शामिल प्लॉट नं. 7, माप 200 वर्ग यार्ड्स। चौहद्दीः उत्तरः अन्य शेड, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः स्क्रैप यार्ड जिसके बाद गली, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति।
2. मै. कश्यप ट्रेडिंग कम्पनी का एक सीएनसी मशीन- इन्वॉयस नं. 5988 तिथि 11.11.13
3. मै. यश एण्टरप्राईजेज से खरीद की गई अचैटमेन्ट के साथ एक सीएनसी टूलिंग मशीन।
4. मै. साई ट्रेडर्स से खरीद की गई कन्ट्रोल के साथ एक सीएनसी मशीन।

तिथिः 4.4.2019
स्थानः फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

द करूर वैस्य बैंक लि.
मंडल कार्यालय, नं. 6, 3 रा तल,
मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड
करोलबाग, नई दिल्ली-110005

तिथिः 28.3.2019

एसएसटीए-1: निविदा-सह-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका द करुर वैस्य बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की क) मै. अंश एण्टरप्राईजेज, कार्यालयः 114, प्रथम तल, महराजा अग्रसैन मार्केट, चावरी बाजार, नई दिल्ली-110006, द्वारा उसके एकाकी प्रॉप्राईटर श्री मनीश जैन, साथ हीः जी-आई, प्लॉट नं. 617, देव कुंज अपार्टमेन्ट्स, वैशाली, सेक्टर-1, गाजियाबाद, ख) श्रीमती शालिनी जैन, पत्नी श्री मनीश जैन, IX/1997, गली नं. 4 एवं 5, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031, साथ हीः जी-आई, प्लॉट नं. 617, देव कुंज अपार्टमेन्ट्स, वैशाली, सेक्टर-1, गाजियाबाद से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये अन्डेबिटेड ब्याज के अतिरिक्त रु. 2,24,88,532.74 (रुपये दो करोड़ चौबीस लाख अठासी हजार पांच सौ बहत्तर एवं पैसे चौहत्तर मात्र) की वसूली के लिये 23.4.2019 को ‘‘जैसा है जहां है’’, ‘‘जैसा है जो है’’ तथा ‘‘जो कुछ भी वहां है’’ आधार पर बिक्री की जायेगी। धरोहर राशि भुगतान आरक्षित मूल्य का 10% होगा।

परिसंपत्तियों का विवरण

ग्राम सीलमपुर, इलाका शाहदरा, गली नं. 4 एवं 5, कैलाश नगर के नाम से विदित कॉलोनी, दिल्ली-110031 में खसरा नं. 8, 9, 11 से 16, एवं 128 में प्राईवेट अहाता नं. 189 में IX/1997, माप लगभग 75 वर्ग याईड्स में स्थित आवासीय भूमि एवं भवन जिसमें ग्राउण्ड +2 मंजिला बिल्डिंग, निर्मित क्षेत्रफल 2025 वर्ग फीट लगभग का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी चारों दिशाओं की चौहद्दी हैः
उत्तरः सम्पत्ति सं. 9/1996, दक्षिणः प्लॉट नं.- 9/1997,
पूर्वः प्लॉट नं. 9/1998, पश्चिमः सड़क।

आरक्षित मूल्य	रु. 85,00,000.00
धरोहर राशि भुगतान	रु. 8,50,000.00
निविदा-सह-नीलामी आवेदन प्रपत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि	22.04.2019
मुहरबंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	तिथि 22.4.2019 को 3 बजे अप. तक आरपीएडी द्वारा व्यक्तिगत रूप से
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	23.4.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में द करूर वैस्य बैंक, मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में https://eauctions.samil.in के माध्यम से ऑनलाइन
नीलामी की तिथि एवं समय	23.4.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 11.30 पूर्वा. तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ, द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड, दिल्ली मंडल कार्यालय के परिसर में https://eauction.samil.in के माध्यम से ऑनलाइन

ई-निविदा-सह-ई-नीलामी आवेदन बैंक से प्राप्त की जाने वाली निर्धारित प्रपत्र में ही जमा की जाएगी।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उक्त बकाया राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी तथा शेष देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी।

नीलामी के एक दिन के भीतर 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) जमा की जायेगी तथा 15 दिनों के भीतर सम्पूर्ण शेष राशि जमा की जायेगी अन्यथा आगे किसी सूचना के बिना ईएमडी जब्त कर ली जायेगी।

बोली राशि के अतिरिक्त यदि लागू हो, नीलामी के क्रेता को 1% टीडीएस राशि का भुगतान करना होगा।

यह नीलामी सूचना का संक्षिप्त प्रारूप है, नीलामी सूचना की सम्पूर्ण प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है।

द करूर वैस्य बैंक लि. के लिये
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी